

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-06/2018 (2018/00128) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1—नन्दलाल आत्मज हीरालाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—किशनलाल आत्मज हीरालाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—मांगी पुत्री हीरालाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—सुन्दर पुत्री हीरालाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—प्यारचन्द आत्मज हीरालाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—भंवरलाल आत्मज हीरालाल कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 - 2—लखमानाथ आत्मज भैरूनाथ कालबेलिया निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर —
2. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 01.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण के खेत है जिसके पश्चिम व उत्तर में सरकारी गैर मुश्तकिल नाला साबिक आराजी संख्या 876/14 स्थित है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त है। इस नाले के पूर्वी दक्षिणी कोने से विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 876/8 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। इस आराजियात व सड़क के मध्य प्रार्थीगण व अन्य की कृषि भूमि है। साबिक आराजी संख्या 876/14 बिलानाम गैर काबिल काश्त गैर मुश्तकिल नाला होकर उत्तर से दक्षिण की तरफ सड़क को कोस करते हुए प्रार्थीगण की आराजियात के पश्चिम में स्थित होकर सटमा है और इसमें विपक्षी संख्या 2 या अन्य किसी के खेत स्थित नहीं होकर बहाव स्रोत है जिसमें बरसाती पानी बहता है। इस नाले के सहारे सहारे करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है जो प्रार्थीगण व हमारे पीछे स्थित विभिन्न व्यक्तियों के खेतों तक जाता है जो करीब 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से ग्राम केमुणिया का भी नवीन भू प्रबन्ध किया गया जिससे आराजी संख्या 876/14 के नवीन नम्बर 1643 कायम किये गये जो वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त गैमु नाला दर्ज रेकार्ड है। तथा विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 876/8 के नवीन नम्बर 1644 रकबा 0.06 है० कायम किये गये। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान उक्त साबिक आराजियात के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किया गया किन्तु साबिक काश्त व मौके की स्थिति के अनुरूप नवीन नक्शे को तरमीमात नहीं कर नवीन नम्बरों के अनुरूप फीट नहीं कर गलत फीट कर दिया और गैर कानूनी तरीके से विपक्षी संख्या 2 की नवीन



आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है0 भूमि को गैमु नाला की आराजी संख्या 1643 में सड़क के पास फीट करते हुए नाले में फीट कर दिया जबकि विपक्षी संख्या 2 का साबिक नक्शे के मुताबिक ही मौके पर काबिज है। नवीन आराजी संख्या 1646 पर रास्ता व नाला होकर किसी का कोई कब्जा नहीं है, तथा वर्तमान नक्शे में जहां पूर्व में विपक्षी संख्या 2 की आराजी फीट थी वहां कोई नम्बर अकिंत नहीं है और खाली छोड़ रखा है जिससे विपक्षी संख्या गलत नम्बर फीट हुए का नाजायज फायदा उठाते हुए गैमु नाले पर कब्जा करना चाह रहा है। जिससे विपक्षी संख्या 2 की नवीन आराजी संख्या 1644 की साबिक नक्शे के मुताबिक नवीन नक्शे में खाली छुटी हुई भूमि के स्थान पर फीट कराया जाकर राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती कराई जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित विपक्षी संख्या 2 की हाल आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है0 भूमि को साबिक नक्शे व मौके की स्थिति के अनुरूप वर्तमान नक्शे में उसकी छुटी हुई जगह पर फीट कर नवीन नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने का आदेश विपक्षी संख्या 1 के नाम प्रदान फरमाया जावे तथा विपक्षी संख्या 2 गलत नक्शे का नाजायज लाभ उठाकर सरकारी नाला व रास्ते पर नाजायज कब्जा व अतिक्रमण नहीं करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 13.01.2016 को पारित किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। उक्त निर्णय के विरुद्ध विपक्षी संख्या 2 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिस पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय प्रकरण संख्या 38/2017/भीलवाड़ा (2017/00060) दर्ज कर प्रकरण में बाद सुनवाई दिनांक 05.03.2018 को निर्णय पारित करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2016 को पारित निर्णय को अपास्त करते हुए निर्देश दिया कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर प्रकरण पुनः निर्णित करे। जिसके आधार पर पुनः प्रकरण संख्या 06/2018 दिनांक 16.07.2018 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण की ओर से जवाब में अकंन किया कि कलम संख्या 1 स्वीकार है कि बिलानाम सरकारी नाला के पूर्वी दक्षिणी कोने पर विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 876/8 रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित है तथा आराजी के पास वर्तमान में प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 1646 स्थित है तथा शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 876/14 सरकारी बिलानाम भूमि है तथा आराजी संख्या 876मी की किस्म नाला है। प्रार्थीगण की भूमि व नाला के बीच विपक्षीगण की आराजी संख्या 876/8 है जिसे प्रार्थीगण ने कलम संख्या 1 में स्वीकार किया है। प्रार्थीगण व नाले की भूमि के बीच कोई रास्ता नहीं होकर बिलानाम सरकारी भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि सड़क से लगती हुई है। विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 876/6 के नवीन नम्बर 1644 एवं रकबा सही कायम किया गया तथा नवीन नक्शे को मौके पर साबिक कब्जेनुसार सही अकिंत किया गया है। आराजी संख्या 1643 पुरा नाला होकर नाला के अलावा जमीन पड़त पड़ी हुई है तथा आराजी संख्या 1643 के दक्षिण में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1644 अकिंत है। मौके पर विपक्षी संख्या 2, 50 वर्ष से भी अधिक समय से इसी जगह पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर नाला व प्रार्थीगण



की आराजी पर विपक्षीगण किसी प्रकार का कब्जा नहीं करना चाहता है। भू प्रबन्ध के दौरान विपक्षीगण की भूमि गलत फिट नहीं की गई विपक्षीगण व नाले की भूमि के बीच काफी जगह पड़ी हुई है तथा नाला भी व्यवस्थित रूप से चालु है। प्रार्थीगण द्वारा तमाम तथ्य मनगढ़त अकिंत किये गये हैं। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि साबिक आराजी संख्या 876/8 रकबा 5 बिस्वा पर विपक्षी संख्या 2 ही करीब 50 वर्षों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जो साबिक नक्शे में साबिक आराजी संख्या 876/14 के दक्षिणी पूर्वी कोने से व साबिक आराजी संख्या 876/13 के पश्चिम व नाले से पूर्व में स्थित है परन्तु साबिक नक्शे में विपक्षी की आराजी को तरमीम नहीं किया गया है। भू प्रबन्ध के दौरान नवीन नम्बर सही कायम करते हुए विपक्षीगण के कब्जे अनुसार ही फीट किया है। प्रार्थीगण की नवीन आ.स. 1646 जो वर्तमान में सड़क से लगती हुई है के साबिक नम्बर 883/2 है जिनको नवीन नक्शे में गलत तरीके से दर्ज करते हुए सड़क के पास दर्ज कर दिया गया है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण ने सड़क के पास की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जबकि प्रार्थीगण की साबिक आ.सं. 883/2 साबिक नक्शे में सड़क से काफी दूर दर्ज है। इसी तरह प्रार्थीगण का वर्तमान आ.स. 1640, 1641, 1642 पर कब्जा है जबकि उक्त आराजियात अन्य खातेदारान के नाम पर दर्ज है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी को दुरुस्त कराना चाहिए। परन्तु प्रार्थीगण अपनी आराजी की दुरुस्ती नहीं करवा कर विपक्षी की आराजी को अन्यत्र दर्ज करवा विपक्षी की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं तथा लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं व विपक्षी की भूमि के आशिक भाग पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण को विपक्षी की आराजी में रद्दोबदल कराने का कोई अधिकार नहीं है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जाए। विपक्षी संख्या दो की आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 हैक्ट, में आवागमन के लिए विपक्षी द्वारा इसके आगे स्थित बिलानाम आ.सं. 1645, 1657 से दिनांक 16.10.2015 को डी.एल.सी. दर की राशी राजकीय कोष में जमा कराई जाकर रास्ता लिया गया है जिससे विपक्षीगण अपनी आराजी में आवागमन करते हैं। तथा विपक्षी संख्या दो द्वारा अपनी आसं. 1644 को दिनांक 21.12.2015 को आबादी में संपरिवर्तित करा कर विपक्षी संख्या तीन को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है तथा मौके पर वर्तमान में विपक्षी संख्या तीन काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में विपक्षी संख्या तीन की आ.सं. 1644 रकबा 0.06 हैक्ट. आवासीय भूमि हैं जिससे उक्त प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाया जाए।

चुंकि प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट से सम्बधित होने से मौके की वर्तमान/वास्तविक स्थिति हेतु इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार रायपुर को कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम केमुणिया की आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है0 भूमि वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होकर खातेदार लखमानाथ पिता भैरूनाथ कालबेलिया सा. के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क के मध्य से करीब 60 मीटर दूर है, उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों का कब्जा नहीं है तथा प्रार्थीगणों की भूमि मुख्य सड़क के पास स्थित है। खातेदार लखमानाथ पिता भैरूनाथ कालबेलिया द्वारा उक्त आवासीय संपरिवर्तन भूमि दिनांक 23.12.2015 को श्री अल्ताफ हुसैन पिता शरीफ मोहम्मद रंगरेज नि. बोरणा द्वारा विक्रय कर दी गई एवं उक्त क्रेता का मौके पर कब्जा होना जाहिर हुआ है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी. पेश कर आपत्ति दर्ज कराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट में कई तरह की कानुनी बिन्दुओं को नजरअंदाज किया गया है और प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत पेश की गई।


विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति के जवाब में अकन किया कि मौका रिपोर्ट किसी कानुनी बिन्दु को नजरअंदाज नहीं किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा सुओमोटो प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई है जिससे न्याय करने में सुविधा रहे। मौका रिपोर्ट में जो मौके की स्थिति को दर्शाया गया है जो सही है।

प्रकरण मे दानो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि लखमानाथ के नाम दर्ज साबिक आराजी संख्या 876/8 रकबा 5 बिस्वा भूमि का नक्शा पेश किया है विपक्षी 2 के द्वारा सीमा विवाद किया जाता है मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2015 को पेश किया विपक्षी 2 के नाम दर्ज भूमि दिनांक 21.12.2015 से आवासीय सम्परिवर्तन होने से रेकार्ड में दर्ज करा दी गई है। दौराने प्रार्थना पत्र भूमि सम्परिवर्तन करा विक्रय की गई जो उचित नहीं है। प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र पूर्व में स्वीकार हुआ है मौका रिपोर्ट में पक्षकारो को तलब नहीं किया है, मौका रिपोर्ट गलत बनाई गई है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति एवं मुख्य बहस में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 को साबिक मूल आराजी संख्या 876 में भूमि 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई है, और जहां विपक्षी को भूमि आवंटन के बाद कब्जा दिया गया उसी अनुसार मौके पर काबिज है। दौराने भू प्रबन्ध खातेदार मूल आवंटित आराजी में जहां पर काबिज था उसी अनुरूप भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बर दिया गया है। साबिक नक्शे में जहां प्रार्थीगण तरमीम बताते है वहां कभी भी विपक्षीगणो का कब्जा नहीं रहा है और उस जगह जो खातेदार काबिज है वह भूमि उसी के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौका रिपोर्ट किसी पक्षकार के कहने पर नहीं मंगवाई गई है, न्यायालय द्वारा न्याय हित में सुओमोटो मंगवाई गई है। विपक्षी 2 के द्वारा भूमि सम्परिवर्तन करायी गई है, सम्परिवर्तन पर किसी प्रकार का स्थगन नहीं था और विपक्षी के द्वारा जो भूमि सम्परिवर्तन करायी गई है वो भूमि प्रार्थीगणो की नहीं है और न ही प्रार्थीगण का उस जगह कब्जा है। प्रार्थीगण का आवेदन गलत होने से खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध नवीन व साबिक रेकार्ड का अवलोकन कर अधिवक्ताओ पर बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि को लेकर अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, न तो प्रार्थीगण खातेदार है और ना ही प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में कहा गया कि विपक्षी की साबिक नक्शे में जहां तरमीम थी उसी जगह नवीन नक्शे में होनी चाहिये यह बात शत प्रतिशत स्वीकार योग्य नहीं है चूंकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक मूल नम्बर में जहां मौके पर खातेदार काबिज होता है उसको बिना डिस्टर्ब किये खाते के रकबे के अनुपात में नवीन नम्बर दिया जाता है किसी अन्य नम्बर में कब्जा होने पर साबिक नम्बर से नवीन नम्बर दर्ज नहीं किया जाता है। इस प्रकरण में विपक्षी के नाम दर्ज भूमि के जो नवीन खसरा नम्बर 1644 दर्ज किया गया है वो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी संख्या 876/8 से ही बना है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जहां 876/8 के खातेदार का मौके पर कब्जा था



उसी जगह भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बर दिया गया है। इसके साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2016 को भी स्वीकार किया गया था आदेश 13.01.2016 का अवलोकन किया जिसमें अंकन किया कि विपक्षी 2 की हाल आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है भूमि को साबिक नक्शे और मौके की स्थिति के अनुरूप वर्तमान नक्शे में छुटी हुई जगह पर फीट कर नवीन नक्शे में इन्द्राज दुरसत किया जावे। उक्त आदेश को माननीय अतिरिक्त सभांगीय आयुक्त महोदय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.03.2018 से निरस्त किया जा चुका है जिसकी पालना में विपक्षीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। प्रार्थीगण जहां नक्शे में छुटी जगह बता रहे हैं वो छुटी हुई नहीं होकर आराजी संख्या 1638 है। खातेदार द्वारा अपनी आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है भूमि को आवासीय रूपान्तरण कराने हेतु जो आवेदन पेश किया गया था उस आवेदन की पालना में तत्कालीन पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके उपरान्त ही भूमि सम्पत्तिवर्तन का आदेश हुआ है अर्थात् वर्ष 2015 में भी विपक्षी का इसी आराजी पर कब्जा होना जाहिर होता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है वो रेकार्ड और मौके से विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आराजी संख्या 1644 रकबा 0.06 है भूमि को अन्य जगह तरमीम कराने का पेश किया गया है प्रार्थीगणों का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है न प्रार्थीगण का इस आराजी पर कब्जा है ना खातेदारी में दर्ज है। कोई भी खातेदार किसी अन्य खातेदार की आराजी को तरमीम कराने का कोई अधिकार नहीं है। मौके के विपरीत अगर तरमीम पायी जाती है तो सम्बन्धित खातेदार या भूमिधारी ही उसको दुरस्त कराने का आवेदन पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 विधि विरुद्ध एवं प्रार्थीगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
1.4.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला, छत्तीसगढ़